न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—318/2014/223 आर.टी.एक्ट (2012/00133)

1. श्री बदरूदीन पुत्र श्री शाहमीर खां मृतक जरिए वारिसान—
   1/1 हमीदा पत्नी स्व0 बदरूदीन
   1/2 हसबूद्धीन पुत्र स्व0 बदरूदीन
   1/3 मजिहन पुत्री स्व0 बदरूदीन
   1/4 गयासुदीन पुत्र स्व0 बदरूदीन
   1/5 जुल्फीकर पुत्र स्व0 बदरूदीन
   1/6 इलियास पुत्र स्व0 बदरूदीन
   1/7 गुडडी उर्फ अजीजन पुत्री बदरूदीन समस्त जाति मुसलमान समस्त निवासीगण जामा मस्जिद के पास रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
2. श्री शाहवुदीन पुत्र श्री शाहमीर खां आयु 71 वर्ष जाति मुसलमान निवासी बस स्टैण्ड के पास रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
3. श्री सदरूदीन पुत्र श्री शहमीर खां आयु 61 वर्ष जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
4. श्री नसरूदीन पुत्र नसीरन पुत्री शाहमीर खां आयु 43 वर्ष जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
5. श्री शेर मोहम्मद पुत्र नसीरन पुत्री शाहमीर खां आयु 43 वर्ष जाति मुसलमान निवासी रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
6. श्री युसुफ पुत्र नसीरन पुत्री शाहमीर खां आयु 43 वर्ष जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
7. जहूरन पुत्री श्री शाहमीर खां आयु 59 वर्ष जाति मुसलमान निवासी कन्याशाला के पास रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
8. खेरून पुत्री शाहमीर खां आयु 56 वर्ष जाति मुसलमान निवासी पंचायत घर के पास रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
9. हमीदा पुत्री शाहमीर खां आयु 55 वर्ष जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

अपीलांटस

बनाम

1. श्री कमरूद्धीन पुत्र श्री सिकंदर खां (मृतक जरिए वारिसान)
   1/1 बसीरन पुत्री कमरूद्धीन
   1/2 नसीरूद्धीन पुत्र कमरूद्धीन (मृतक जरिए वारिसान)
   1/2/1 शम्मा पत्नी नसरूद्धीन
   1/2/2 अयूब पुत्र नसरूद्धीन
   1/2/3 रजिया पुत्री नसरूद्धीन
   1/2/4 सरताज पुत्र नसरूद्धीन
   1/2/5 इमराना पुत्री नसरूद्धीन
   1/3 मुंशी पुत्र कमरूद्धीन
   1/4 अब्दुल कयूम पुत्र कमरूद्धीन
   1/5 खुदीजा पुत्री कमरूद्धीन समस्त जाति मुसलमान निवासी जामा मस्जिद के पास रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
2. श्री निजामुदीन पुत्र स्व0 शफी मोहम्मद आयु 48 वर्ष
3. श्री सलीम पुत्र स्व0 शफी मोहम्मद आयु 43 वर्ष
4. श्रीमती लल्ली पत्नी श्री हमीद मोहम्मद आयु 63 वर्ष
5. श्री इमरान खां पुत्र हमीद मोहम्मद आयु 38 वर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

6. मुन्नी पुत्री स्व0 हमीद मोहम्मद आयु 38 वर्ष
7. खुर्शिद पुत्री स्व0 हमीद मोहम्मद आयु 33 वर्ष
8. रशीदा पुत्री स्व0 हमीद मोहम्मद आयु 31 वर्ष
9. माफिया पुत्री स्व0 हमीद मोहम्मद आयु 29 वर्ष
10. मेहमूदा पुत्री श्री नसीर मोहम्मद आयु 48 वर्ष
11. ईदी पुत्री श्री नसीर मोहम्मद आयु 45 वर्ष
12. रमजानी पुत्री श्री नसीर मोहम्मद आयु 43 वर्ष
    समस्त जातिगण मुसलमान समस्त निवासीगण जामा मस्जिद के पास रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर
13. नूरी पुत्री श्री नसीर मोहम्मद आयु 38 वर्ष जाति मुसलमान निवासी 6 खम्भों के पास रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

14. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.07.2014 उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, राजस्व वाद संख्या 228/2011

उपस्थितः–

1. श्री मंगलाराम चौधारी, अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री एन.के. जैन, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/2/1 से 1/2/5
3. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 14
4. रेस्पोडेंट संख्या 1/1, 1/2/1 से 1/2/4, 1/3 से 1/5, 02 से 13 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः–18.10.2022

1. यह अपील उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 228/2011 में पारित आदेश के विरूद्ध दिनांक 23.07.2014 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/ वादी ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया। वाद पत्र को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 01 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने वादपत्र को स्वीकार करते हुए विभाजन करने एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश करने का आदेश निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कि गई तथा अधीनस्थ न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पेश होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23.07.2022 को पारित की गई। अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 228/2011 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2014 से असंतुष्ट होकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1/2/1, 1/2/2 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/2/2 से 1/2/4, 1/3 से 1/5, 2 से13 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में जो विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया है। वह तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं किया गया जब कि कानूनी रूप से विभाजन प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार किया जाना चाहिए था जो विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है वह पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है जो कानूनी रूप से सही नहीं है। जैसा आर.बी.जे 2021 पेज 76 एवं आर.बी.जे 2018 पेज 676 में विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। पटवारी हल्का द्वारा तैयार कर पेश विभाजन प्रस्ताव रेवेन्यू रूल्स 18 से 21 की पालना नहीं करते हुए तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था। जिसमें मौके व रिकार्ड की अवहेलना करते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया। उक्त अविधिक विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय ने आधार बनाकर अंतिम डिक्री पारित करने का अविधिक आदेश दिया है जिसे अपील के माध्यम से निरस्त किया जाना न्यायोचित है। जैसा कि आर.बी.जे 2021 पेज 385 में विधिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा तैयार अविधिक बंटवारा प्रस्ताव के आधार पर अपीलांटस को वादग्रस्त भूमि में से सबसे खराब भूमि जो तालाब के पेटे में अवस्थित है। अपीलांटस को जो भूमि दी गई है उस भूमि की किस्म पेटा तालाबी है। जो अक्सर तालाब के पानी में डूबी रहती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने असंतुलित विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। विभाजन प्रस्ताव का अपीलांटस को कोई नोटिस नहीं दिया गया न ही विभाजन प्रस्ताव अपीलांट की उपस्थिति में बनाया गया था। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद के आदेश दिनांक 23.07.2014 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/2/1 व 1/2/5 ने दौराने जवाब/बहस कथन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा का मौखिक बंटवारा हो गया है। जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान के कब्जे में खसरा नम्बर 6539 रकबा 0.47, 5734 रकबा 0.24, 1386 रकबा 0.20 की भूमि है। जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के वारिसान द्वारा सुधार कार्य कर काश्त की जा रही है। प्रतिवादी द्वारा वादीगण के साथ लडाई झगडे का प्रश्न ही नहीं होता। आराजी मुतनाजा का पूर्व में ही बंटवारा हो गया है। विवादित भूमि संयुक्त अंविभाजित हो दशार्ये गये कथन भी गलत है तथा बैचान करने पर आमादा हो भी गलत है। वादीगण के द्वारा वास्तविक तथ्यो को छिपाकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह वाद प्रस्तुत किया है जिसको अधीनस्थ न्यायालय ने सभी पक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए विधि सम्मत निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस खारिज किए जाने का आदेश प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में आर.बी.जे.(28) 2021 पेज385, आर.बी.जे.(25) 2018 पेज 677, आर.बी.जे.(28) 2021 पेज 76के न्यायिक दृष्टांत पेश किये है।

6. हमने उभयपक्षों द्वारा कि गई बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन राजस्व वाद विवादित आराजीयत बाबत वास्ते बंटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु लंबित है जिसे बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 31.10.2012 के द्वारा विवादित आराजीयात बाबत राजस्व वाद को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री पारित किए जाने का आदेश प्रदान किया गया था जिसकी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

पालना में राजस्व कर्मचारियों द्वारा कुरेजात रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की थी तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात बाबत विभाजन में खसरा संख्या 3785 जो कि रकबा 0.58 हैक्टर जो कि पेटा तालाबी प्रथम के रूप में दर्ज है उसे अपीलांट के हक एवं हिस्से में रखते हुए विवादित आराजीयात का अविधिक रूप से विभाजन कर दिया जबकि विभाजन प्रस्ताव एवं विभाजन में यह स्पष्ट रूप से जांचा देखा जाता है कि विभाजित आराजीयात का विभाजन प्रत्येक खातेदार/ हिस्सेदार को अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी मिले चूंकि उक्त विभाजन प्रस्ताव एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 23.07.2014 के द्वारा उक्त आराजीयात खसरा नम्बर 3785 रकबा 0.58 हैक्टर जोकि पेटा तालाबी है उसे पूर्ण रूप से अपीलांट के हक अधिकार एवं हिस्से में रख दिया तथा उक्त खसरा नम्बर प्रतिबंधित भूमियों में आती है इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित आराजीयात जो कि प्रतिबंधित भूमि है उसे अपीलांट के हिस्से में कर दिया इस प्रकार से विवादित आराजीयात बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.07.2014 विधि सम्मत नहीं ठहराया जा सकता तथा विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है जबकि मान्नीय मण्डल ने अपने अनेको निर्णय में यह प्रतिपादित किया गया है कि विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार स्वयं तैयार करेगें। उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23.07.2014 निरस्त योग्य है तथा प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रषित कि जाना उचित समझते है कि वे विवादित आराजीयात बाबत सभी पक्षकारों के मध्य लगान किस्म कब्जे तथा बाद विभाजन मार्गों तथ प्रतिबंधित भूमियों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एवं सनुवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.07.2014 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे विवादित आराजीयात बाबत सभी पक्षकारों के मध्य लगान किस्म कब्जे तथा बाद विभाजन मार्गों तथ प्रतिबंधित भूमियों को ध्यान में रखते हुए सभी पक्षकारों को समुचित साक्ष्य एवं सनुवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण पर पुनः निर्णय पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.11.2022 को उपस्थिति होने हेतु पावंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर